(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. FDS-A(3)-11/99 DATED 24.12.2008 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.)

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer
Affairs Department.

***

No. FDS- **FDS-A(3)-11/99** Dated Shimla-171002, 24th December, 2008.

'NOTIFICATION'

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant(Quality Control),Class-II (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Technical Assistant(Quality Control), Class-II, Non-Gazetted, Recruitment and Promotion Rules, 2008. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal and savings	2.	(1) The Himachal Pradesh Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Technical Assistant(Quality Control) Class-III, Non-Gazetted, Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide notification No. FDS-A(3)-11 /99 dated 24th September, 2003 are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed, under Rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By Order

Harinder Hira
Addl. Chief Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant(Quality Control)(Class-II, Non-Gazetted) in the Department of Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh

1. Name of the Post:	Technical Assistant(Quality Control)
2. Number of Posts:	1 (one)
3. Classification.	Class –II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.	Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640
5. Whether Selection Post or non selection post :	Selection
6. Age for direct recruitment.	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s)	Age: Not applicable Educational Qualifications: Not applicable
9. Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion.
11. In case recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion /transfer is to be made	By promotion from amongst Head Analyst having 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade. (i) In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of

consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, which ever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition?	D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14.	Essential requirements for a	Not applicable

	direct recruitment	Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment	
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Not Applicable
18.	Power to relax	Where the State Government is of the the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

***

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

संख्याः एफ.डी.एस.–ए(3)–11/99 तारीख शिमला–2, 24 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश में तकनीकी सहायक (गुणवता नियन्त्रण), वर्ग– II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न् उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, तकनीकी सहायक (गुणवता नियन्त्रण), वर्ग– II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां।

2(1) अधिसूचना संख्या–एफ.डी.एस–ए(3)–11/99 तारीख 24.09.2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, तकनीकी सहायक (गुणवता नियन्त्रण) (वर्ग–III, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम–2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हरिन्द्र हीरा
अति0 मुख्य सचिव(खा0ना0आ0एवंउ0मा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध–"क'

हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में तकनीकी सहायक (गुणवता नियन्त्रण) वर्ग–II (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम	तकनीकी सहायक (गुणवता नियन्त्रण)
2	पदों की सख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	वर्ग–II(अराजपत्रित)
4	वेतनमान	6400–200–7000–220–8100–275–10300–340–10640 रुपए।
5	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं ।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	लागू नहीं ।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10	भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः	शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में श्रेणिया(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाऐगा ।	मुख्य विश्लेषक में सें, जिसका 05 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा। (1) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जायेगें. परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की,

जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनेल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ। दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ। दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व संभरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी,, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

परन्तु उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलरूवरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी सरंचना।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ठ सदस्य द्वारा की जाएगी।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	लागू नहीं।
16	आरक्षणः	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों

		के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नही।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

...